संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/1707 भोपाल, दिनांक 03/10/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 नियंत्रण हेतु व्यक्तियों पर डिसइन्फेक्टेन्ट/रोगाणुनाशक द्रव्यों का छिड़काव नहीं करने संबंधी निर्देश।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र क्र. **F no. Z-21020/159/2020-PH** दिनांक 23/09/2020
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र. **560/2020** के तारतम्य में दिनांक 07/09/2020 को पारित आदेश।
3. भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी **(Advisory against spraying of disinfectant on people for COVID-19 management)** दिनांक 18/04/2020
4. संचालनालय स्तर से पत्र क्र. आई.डी.एस.पी/2020/504 दिनांक 20/04/2020

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका– WP (Civil) no. 560/2020 गुरसिमरन सिंह नरूला विरूद्ध केन्द्रीय मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07/09/2020 के तारतम्य में कोविड–19 के प्रबंधन के दौरान व्यक्तियों पर डिसइन्फेक्टेन्ट/रोगाणुनाशक द्रव्यों का छिड़काव नहीं करने संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है। ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा भारत सरकार एवं राज्य स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में पुनः निर्देशित किया जाता है किः–

- रोगाणुनाशक (Disinfectant) रासायनिक द्रव्य होते है जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तीव्र रासायनिक गुण को दृष्टिगत रखते हुए इन द्रव्यों/रसायनों का प्रयोग निर्जिव वस्तुओं के विसंक्रमण हेतु ही किया जाता है।
- रासायनिक रोगाणुनाशकों का उपयोग केवल उन स्थलों/सतहों के लिए करने की अनुशंसा है जिनका बारम्बार स्पर्श किया जाता हो एवं जिनका संपर्क अथवा उपयोग कोविड–19 के संदिग्ध अथवा पुष्ट रोगियों द्वारा किया गया हो।
- रासायनिक रोगाणुनाशक का छिड़काव करते समय सदैव दस्तानों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों अथवा समूहों पर रोगाणुनाशक द्रव्यों का छिड़काव अनुशंसित नहीं है। ऐसे रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव के दौरान किसी व्यक्ति अथवा समूह से शारीरिक संपर्क होने पर शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है।
- कोविड–19 के संदिग्ध अथवा पॉजीटिव व्यक्तियों के बाहरी त्वचा पर रोगाणुनाशक छिड़काव करने का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि शरीर में प्रवेश कर चुके वायरस पर इन द्रव्यों पर कोई प्रभाव नही होता है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इनके छिड़काव से बाहरी कपड़ों/शरीर के कीटाणु नष्ट होते हैं।
- क्लोरीन के छिड़काव के दौरान संपर्क में आने से आंखों अथवा त्वचा में जलन हो सकती है। साथ ही, पाचन प्रणाली पर दुष्प्रभाव होने के कारण उबके–उल्टियाँ हो सकती है। सोडियम हाईपोक्लाराइट रसायन के अतःश्वसन (Inhalation) से नाक, गला व श्वसन तंत्रों में जलन हो सकती है तथा श्वसन तंत्र का संकूचन (Bronchospasm) भी संभावित हो सकता है।

- रोगाणुनाशन के शरीर पर छिड़काव की प्रक्रिया से एक ओर जहाँ व्यक्ति में सुरक्षा की झूठी भावना उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर, कोविड–19 के नियंत्रण हेतु कारगर उपाय जैसे हाथ धोना और सामाजिक दूरी संबंधित प्रोटोकॉल का शिथिलता से पालन होना संभावित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के प्रबंधन के लिए व्यक्तियों पर किसी भी परिस्थिति में डिसइन्फेक्टेन्ट/रोगाणुनाशक द्रव्यों का छिड़काव नहीं किया जाये।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/1709 भोपाल, दिनांक 03/04/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग/चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश